

Sl. No. ....

Ref. ....



झारखण्ड सरकार

# प्रज्ञा केन्द्र

*Residential Certificate Apply Form*

(Form Fill up Capital Letter Only)



प्रज्ञा केन्द्र

Applicant Name :- \_\_\_\_\_

(हिन्दी में) \_\_\_\_\_

Gender :- Male/ Female/ Transgender

Date of Birth \_\_\_\_\_

Mobile No. :- \_\_\_\_\_ Aadhar No. \_\_\_\_\_

E-mail :- \_\_\_\_\_

Father's/ Husband's Name : \_\_\_\_\_

Level of Certificate :- SDO

Purpose of Certificate :- For Educational Purpose ☐ For Employment Purpose ☐  
All ☐

Present address :-

Vill.- \_\_\_\_\_ Ward- \_\_\_\_\_ Panchayat- \_\_\_\_\_

Post.- \_\_\_\_\_ P.S.- \_\_\_\_\_ Block- \_\_\_\_\_

Dist.- \_\_\_\_\_ State- \_\_\_\_\_ Pin- \_\_\_\_\_

Permanent address :-

Vill.- \_\_\_\_\_ Ward- \_\_\_\_\_ Panchayat- \_\_\_\_\_

Post.- \_\_\_\_\_ P.S.- \_\_\_\_\_ Block- \_\_\_\_\_

Dist.- \_\_\_\_\_ State- \_\_\_\_\_ Pin - \_\_\_\_\_

Signature of Applicant

अंचल कार्यालय :- .....

## शपथ पत्र, स्व घोषणा पत्र— सह— वंशावली

1. मैं ..... पिता/पति ..... उम्र ..... वर्ष  
अथवा (18 वर्ष से कम उम्र के लिए) मेरा पुत्र/पुत्री नाम .....  
उम्र/जन्म तिथि — ..... है जो राजस्व ग्राम/मोहल्ला— .....  
पोस्ट — ..... पंचायत — ..... थाना — .....  
जिला— ..... राज्य — ..... पिन कोड — .....  
का स्थायी/अस्थायी निवासी हूँ।
2. यह कि मेरा/मेरी चल व अचल सम्पत्ति ग्राम — ..... में अवस्थित है।
3. यह कि मौजा — ..... के जमाबन्दी सं०— ..... के  
खतियानी रैयत ..... के ..... हैं तथा उपजाति .....  
के सदस्य हैं जो झारखण्ड राज्य के अन्तर्गत जाति (SC)/अनुसूचित जनजाति (ST)/ पिछड़ी जाति  
एनेक्सर 1(BCI)/ पिछड़ी जाति एनेक्सर 2(BCII) के रूप में मान्यता प्राप्त है।  
मेरा/मेरी/ पुत्र/पुत्री का वंशावली इस प्रकार है :-

फोटो

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि घोषण पत्र पर सारी बातें मेरी जानकारी ज्ञान और विश्वास में सही और दुरुस्त हैं, उक्त बातें गलत पायी जाती है तो भारतीय दंड संहिता की धारा 117, 193, 197, 200 और 420 के अन्तर्गत सजा पाने को तैयार हूँ।

घोषणाकर्ता का हस्ताक्षर

ग्राम प्रधान/वार्ड सदस्य/पंचायत समिति सदस्य/मुखिया  
हस्ताक्षर (मुहर सहित)

नाम — .....  
पहचान पत्र — .....

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा निर्गत संकल्प सं० 3198  
दिनांक- 18.04.2016 को कंडिका - 2 की उप कंडिका ..... के समर्थन में

आवेदक की घोषणा -

1. क्या आपके माता/पिता को झारखण्ड के स्थानीय निवासी का प्रमाण पत्र प्राप्त है? हाँ/ नहीं
2. क्या आपके माता/पिता/पूर्वजों का नाम खतियान में दर्ज है? हाँ/ नहीं
3. क्या आपके माता/ पिता भूमिहीन हैं? हाँ/ नहीं
4. क्या आप झारखण्ड में प्रचलित भाषा, संस्कृति एवं परंपरा से अवगत हैं? हाँ/ नहीं
5. क्या आप स्वयं अथवा आपके माता/पिता राज्य सरकार के कर्मी हैं? हाँ/ नहीं
6. क्या आप स्वयं अथवा आपके माता/पिता भारत सरकार के कर्मी हैं तथा झारखण्ड राज्य में पदस्थापित हैं? हाँ/ नहीं
7. क्या आप स्वयं अथवा आपके माता/पिता झारखण्ड सरकार में किसी संवैधानिक/विधिक पद पर आसीन हैं? हाँ/ नहीं
8. क्या आपका जन्म झारखण्ड राज्य क्षेत्र में हुआ है? हाँ/ नहीं
9. क्या आपने अपनी मैट्रिकुलेसन अथवा समकक्ष स्तर की पूरी शिक्षा झारखण्ड स्थित किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से प्राप्त की है? हाँ/ नहीं
10. क्या आप स्वयं अथवा आपके माता/पिता विगत 30 वर्षों से झारखण्ड राज्य में निवास करते हैं और अचल सम्पत्ति अर्जित की है? हाँ/ नहीं

मैं एतद् द्वारा घोषित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा उपरोक्त दी गई सूचना मेरी जानकारी में सत्य है और सूचनाओं के असत्य पाये जाने पर मेरे विरुद्ध कानूनी कार्यवाई की जा सकती है।

घोषणाकर्ता का हस्ताक्षर

झारखण्ड स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र हेतु प्रतिज्ञान का प्रपत्र

1. मैं श्री/श्रीमती/सुश्री ..... पिता/पति श्री .....  
पता- ग्राम/वार्ड/शहर ..... पोस्ट ..... पंचायत .....  
थाना ..... जिला ..... का निवासी हूँ और मैं कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा निर्गत संकल्प सं०- 3198 दिनांक -18.04.2016 को कंडिका-2 की उप कंडिका ..... में परिलिखित शर्तों के आधार पर झारखण्ड राज्य के स्थानीय निवासी की शर्त पूरी करता/करती हूँ। (समर्थन में दस्तावेज की स्व सत्यापित हस्ताक्षरयुक्त की छाया प्रति संलग्न)
2. मैं एतद् द्वारा घोषित करता/ करती हूँ कि मैं किसी अन्य राज्य/ केन्द्रशासित क्षेत्र का स्थानीय निवासी नहीं हूँ और झारखण्ड राज्य में रहने के लिए प्रतिबद्ध होने का प्रतिज्ञान करता हूँ।
3. मैं यह भी प्रतिज्ञान घोषित करता/करती हूँ कि राज्य सरकार प्रतिज्ञान में अंकित तथ्य की जाँच से असत्य पाये जाने पर मेरे विरुद्ध कानूनी कार्यवाई करने के लिए समक्ष होंगे।

प्रतिज्ञान घोषित करने वाले का हस्ताक्षर